न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 103/2019

शीर्षक

1. बोदू व्यस्क पुत्र ओमकार , जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी अन्तावाला कल्याणपुरा हाल निवासी, मैंड तह0 विराटनगर जिला जयपुर, राज0

वादी

बनाम

1. जगदीश व्यस्क पुत्र ओमकार
2. संज्या व्यस्क पत्नी ओमकार (मृत दौराने कार्यवाही)
   2/1 धन्नी पुत्री संज्या पत्नी हरदेव
   2/2 केसर पुत्री संज्या पत्नी गिर्राज
   समस्त जाति यादव निवासी अन्तावाला कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0
3. गिरिराज व्यस्क पुत्र भगवान सहाय जाति यादव (अहीर) निवासी गोपालपुरा तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. नारायण व्यस्क पुत्र ओमकार निवासी अन्तावाला कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0
5. विमला व्यस्क पत्नी स्व0 मोहन जाति यादव (अहीर) निवासी अन्तावाला कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0
6. सुरेन्द्र
7. मनजीत } नाबालिगान पुत्रान स्व0 मोहन
8. मंजू
9. प्रियंका } नाबालिगान पुत्रिया स्व0 मोहन
10. किरण
    जरिये प्राकृतिक संरक्षिका बिमला पत्नी स्व0 मोहन जाति यादव (अहीर) निवासी अन्तावाला कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
13. पटवारी हल्का उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 11-10-2021

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 3246 रकबा 0.23 है0, 3300 रकबा 0.30 है0 3301 रकबा 0.27 है0, 3302 रकबा 0.26 है0, 3303 रकबा 0.35 है0, 3311 रकबा 0.30 है0, 3312 रकबा 0.27 है0, 3313 रकबा 0.11 है0, 3313/3336 रकबा 0.15 है0, 3314 रकबा 2.95 है0, वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हलका उदावाला तह0 शाहपुरा जयपुर राज0 में स्थित है उक्त भूमि के हिस्से 1/5 भाग की खातेदारी वादी के नाम तथा 2/5 भाग की खातेदारी बराबर प्रतिवादी सं0 1,2 के नाम तथा 1/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सं0 4 तथा शेष 1/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सं0 5 लगायत 10 के पूर्वज मृतक मोहन दर्ज है उक्त भूमि इस प्रकार उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसे वे शामिल में काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग करते चले आ रहे है। आराजी मुतनाजा उपरोक्त का सह खातेदारान के मध्य आजतक बंटवारा नहीं हुआ है।

2. आराजी मुतनाजा उपरोक्त के सहखातेदार मोहन की बमाह नवम्बर सन् 2012 में मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी सं0 6 लगायत 10 उसके विधिक वारिसान है। मृतक मोहन ने आराजी मुतनाजा के हिस्से 1/5 भाग को ओ0बी0सी0बैंक शाखा शाहपुरा के रहन रख रखा था संबंधित बैंक के ऋण की अदायगी होने की भी वादी को जानकारी मिली है परन्तु रहन मुक्ति के नामान्तरण के अभाव में उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदारी में वर्तमान में भी रहन का इन्द्राज बदस्तुर दर्ज है।

3. प्रतिवादी सं0 2 ने आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड संख्या 1 वादपत्र के अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/5 भाग को आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही गुपचुप में प्रतिवादी संख्या 3 को विकय पत्र

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जयपुर) राज.

दिनांक 04.01.2013 को प्रतिवादी सं0 12 के कार्यालय में विक्रय पत्र पंजीयन करा दिया है तथा प्रतिवादी सं0 1 हाल खसरा नम्बर 3302 रकबा 0.26 है0, 3359 रकबा 0.20 है0, 3313 रकबा 0.11 है0, 3313/8336 रकबा 0.15 है0, कुल किता 4 रकबा 0.72 है0 के अपने हिस्से 1/5 को बिना बंटवारा कराये ही गुपचुप में प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2013 को प्रतिवादी सं0 12 के कार्यालय में विक्रय पत्र का पंजीयन करा दिया है।

4. प्रतिवादीगण ने आपस में साज कर रखा है तथा एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके बलबूते पर वाद पत्र की खण्ड सं0 3 में वर्णित विक्रयपत्रो की आड में संबंधित भूमि का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी सं0 11 के प्रतिनिधी तथा प्रतिवादी सं0 13 से अपने नाम खुलवाने का आमादा हो रहा है तथा उक्त विक्रय पत्रो की आड में ही प्रतिवादी संख्या 3 आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये मनमाने तरीके से आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग विशिष्ट ख0न0 पर कब्जा करने को आमादा है प्रतिवादी सं0 3 अजनबी केता की श्रेणी में आता है उसे बिना भूमि का बंटवारा कराये आराजी मुतनाजा के किसी भी विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करने अथवा कब्जे में आने का कोई विधिक अधिकार प्रापत नहीं है।

5. वादी ने प्रतिवादी सं0 3 व शेष अन्य प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 लगायत 10 को प्रतिवादी संख्या 3 की उपरोक्त नाजायज कार्यवाही बाबत उलहाना दिया तो वे नहीं माने अपितु उन्होनें प्रतिवादी सं0 11 लगायत 13 से बातचीत कर लेने तथा आराजी मुतनाजा का नामान्तरण अतिशीघ्र अपने नाम भरवाकर तस्दीक करा लेने तथा आराजी मुतनाजा का बेचान करने तथा वादीको उसके हिस्से 1/5 भाग की भूमि को शान्ति पूर्वक काश्त नहीं करने देने की धमकी दी है।

6. अन्त में निवेदन किया है कि आ0ख0न0 3246, 3300,लगा0 3303, 3311लगा0, 3313, 3313/3336, 3314, 3354, 3359 कुल किता 12 रकबा 2.95 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्यानुसार हिस्से अनुसार बंटवारा कराया जाकर खातेदारी पृथक–पृथक कराकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण सं0 2,4 के विरूद्ध दिनांक 01.08.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई दिनांक 05.10.2017 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 15.02.2021 को तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई वकील वादी ने बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की। प्रति0 सं0 3 ने प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात का जवाब पेश किया दिनांक 05.07.2021 को वकील उभयपक्षो को बंटवारा रिपोर्ट आपत्ति पर सुनकर प्रा0 पत्र आपत्ति कुर्रेजात स्वीकार किया जाकर पुनः तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 06.09.2021 को तहसीलदार से पुनः बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 30.09.2021 को वकील वादी द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पर प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात व प्रार्थना पत्र **O22R4,9 CPC** पेश किया किया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात व प्रा0 पत्र **O22R4,9 CPC** का जवाब पेश किया।

8. पत्रावली का लोक अदालत की भावण से अवलोकन किया गया। वकील प्रति0 उपस्थित। वकीलवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र **O22R4,9 CPC** के संबंध में निवेदन किया कि प्रति0 सं0 8 मंजू पुत्री स्व0 मोहनलाल यादव जीवित है। उक्त प्रा0 पत्र गलत रूप से प्रकरण को देरी ना करने की गरज से पेश किया है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आपत्ति कुर्रेजात के संबंध में उक्त प्रकरण में बंटवारा रिपोर्ट में वादी को खड्डे वाली भूमि दी गई है। वादी को सरस–नरस के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट में भूमि नहीं दी गई है। अतः बंटवारा रिपोर्ट निरस्त कर पुनः बंटवारा रिपोर्ट कुर्रेजात मंगवाये जावे। वकील प्रति0 ने उक्त प्रा0 पत्र के संबंध में निवेदन किया कि बंटवारा कुर्रेजात आपत्ति मनगढन्त रूप से पेश किया है। वादी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त भूमि की किस्म बारानी–3 है। प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट में उक्त खसरा न0 सीधे बाटे गये है। प्रार्थी/वादी बंटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय उपस्थित रहा। बंटवारा रिपोर्ट सरस नरस राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुरूप तैयार की गई है। प्रकरण 8 वर्ष से अग्रिम समय से न्यायालय में विचाराधीन रहा है। अतः प्रार्थी/वादी प्रकरण को देरी ना करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रा0 पत्र **O22R4,9 CPC** व प्रा0 पत्र आपत्ति कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट खारीज फरमाया जावे व बटवारा रिपोर्ट अनुसार प्रकरण को अन्तिम डिक्री किया जावे।

9. पत्रावली का अवलोकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र **O22R4,9 CPC** प्रति0 स0 9 मंजू देवी के संबंध में पेश किया है। दिनांक प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प उदावाला में स्वयं मंजू देवी ने उपस्थित होकर अपना आधार कार्ड पेश किया। अपने जीवीत होने के संबंध में प्रमाण पेश किया। अतः उक्त आधार पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र **O22R4,9 CPC** प्रकरण में अनावश्यक रूप से पेश करने पर खारीज किया जाता है। अन्य प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

बंटवारा रिपोर्ट व जवाब प्रा0 पत्र आपत्ति कुर्रेजात अवलोकन किया। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आपत्ति कुर्रेजात में बंटवारा रिपोर्ट वादी की अनुपस्थित व सरस नरस के आधार पर तैयार नहीं करने का निवेदन किया है। जबकी बंटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय वादी स्वयं उपस्थित रहा है। अगर बंटवारा रिपोर्ट में कोई आपत्ति होती तो वादी उसी समय आपत्ति करता। बंटवारा रिपोर्ट में सभी पक्षकारान को समान रूप से भूमि दी गई है। बंटवारा रिपोर्ट सरस–नरस के आधार पर तैयार की गई है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आपत्ति कुर्रेजात प्रकरण को देरीना करने की गरज से पेश किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारीज किया जाता है।

10. अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। कि आ0ख0न0 3246, 3300,लगा0 3303, 3311 लगा0, 3313, 3313/3336, 3314, 3354, 3359 कुल किता 12 रकबा 2.95 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. **बोदूराम पुत्र ओमकार जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3300/1 रकबा 0.2360 है0, 3311 रकबा 0.3000 है0, 3246/2 रकबा 0.0160 है0, 3359/1 रकबा 0.0380 है0, कुल किता 4 रकबा 0. 5900 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**
2. **गिरिराज पुत्र भगवान सहाय जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3313/8336 रकबा 0.1500 है0, 3313 रकबा 0.1100 है0, 3302 रकबा 0.2600 है0, 3246/1 रकबा 0.2140 है0, कुल किता 4 रकबा 0.7340 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**
3. **जगदीश पुत्र पुत्र ओमकार जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3303 रकबा 0.3500 है0, 3354/1 रकबा 0.0960 है0, कुल किता 2 रकबा 0.4460 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**
4. **मोहन पुत्र ओमकार जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3301/2 रकबा 0.1680 है0, 3359/2 रकबा 0.1620 है0, 3314 रकबा 0.2600 है0, कुल किता 3 रकबा 0.5900 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**
5. **नारायण पुत्र ओमकार जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3354/2 रकबा 0.1540 है0, 3300/2 रकबा 0.0640 है0, 3301/1 रकबा 0.1020 है0, 3312 रकबा 0.2700 है0, कुल किता 4 रकबा 0. 5900 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 103/2019

शीर्षक

1. बोदू व्यस्क पुत्र ओमकार , जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी अन्तावाला कल्याणपुरा हाल निवासी, मैंड तह0 विराटनगर जिला जयपुर, राज0

वादी

बनाम

1. जगदीश व्यस्क पुत्र ओमकार
2. संज्या व्यस्क पत्नी ओमकार (मृत दौराने कार्यवाही)
   2/1 धन्नी पुत्री संज्या पत्नी हरदेव
   2/2 केसर पुत्री संज्या पत्नी गिर्राज
   समस्त जाति यादव निवासी अन्तावाला कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0
3. गिरिराज व्यस्क पुत्र भगवान सहाय जाति यादव (अहीर) निवासी गोपालपुरा तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. नारायण व्यस्क पुत्र ओमकार निवासी अन्तावाला कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0
5. विमला व्यस्क पत्नी स्व0 मोहन जाति यादव (अहीर) निवासी अन्तावाला कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0
6. सुरेन्द्र
7. मनजीत } नाबालिगान पुत्रान स्व0 मोहन

8. मंजू
9. प्रियंका } नाबालिगान पुत्रिया स्व0 मोहन
10. किरण
   जरिये प्राकृतिक संरक्षिका बिमला पत्नी स्व0 मोहन जाति यादव (अहीर) निवासी अन्तावाला कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
13. पटवारी हल्का उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 11-10-2021

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। कि आ0ख0न0 3246, 3300,लगा0 3303, 3311 लगा0, 3313, 3313/3336, 3314, 3354, 3359 कुल किता 12 रकबा 2.95 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. बोदूराम पुत्र ओमकार जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3300/1 रकबा 0.2360 है0, 3311 रकबा 0.3000 है0, 3246/2 रकबा 0.0160 है0, 3359/1 रकबा 0.0380 है0, कुल किता 4 रकबा 0.5900 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
2. गिरिराज पुत्र भगवान सहाय जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3313/8336 रकबा 0.1500 है0, 3313 रकबा 0.1100 है0, 3302 रकबा 0.2600 है0, 3246/1 रकबा 0.2140 है0, कुल किता 4 रकबा 0.7340 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. जगदीश पुत्र पुत्र ओमकार जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3303 रकबा 0.3500 है0, 3354/1 रकबा 0.0960 है0, कुल किता 2 रकबा 0.4460 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

4. मोहन पुत्र ओमकार जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3301/2 रकबा 0.1680 है0, 3359/2 रकबा 0.1620 है0, 3314 रकबा 0.2600 है0, कुल किता 3 रकबा 0.5900 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

5. नारायण पुत्र ओमकार जाति अहीर सा0 देह आ0ख0न0 3354/2 रकबा 0.1540 है0, 3300/2 रकबा 0.0640 है0, 3301/1 रकबा 0.1020 है0, 3312 रकबा 0.2700 है0, कुल किता 4 रकबा 0.5900 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज तारीख 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि[illegible] जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	